

प्ररूप-एक  
(नियम 3 देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन

प्रति,

सदस्य सचिव,  
जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

मैं, मेरे द्वारा किए गये/मेरे अधिवास के/मेरे स्वामित्व के, अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा, यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ मैं अनधिकृत विकास के मानचित्र, रेखांकन तथा फोटो के साथ निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करता हूँ-

1. आवेदक का नाम .....

2. भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण  
यथा बिजली बिल/संपत्ति कर की प्रति.....

3. भूमि का विवरण, राजस्व मोहल्ला, नगर निवेश योजना,  
सर्वे क्रमांक, प्लॉट नं./खसरा नं. ....

*Affix recent  
photograph of the  
applicant with  
signature on the  
body of the  
photograph*

4. भू-स्वामित्व दस्तावेज, अद्यतन बी-1, पी-11, खसरा मानचित्र बटांकन सहित :-

5. क्या अनधिकृत विकास, विकास योजना/भवन विन्यास में  
सम्मिलित है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है यदि हां, तब

(1) स्वीकृत आदेश क्रमांक .....

(2) आदेश दिनांक का उल्लेख करें .....

(3) स्वीकृत निर्माण का क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर

(4) अनधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर

6. क्या अनधिकृत विकास बिना अनुमोदन के निर्मित है, या मंजूरी के बिना  मंजूरी के विपरीत   
अनुक्रमांक-4 में मंजूरी के विपरीत है :-

कुल क्षेत्र, वर्गमीटर में

(एक) पार्श्व खुला स्थान

(दो) तलक्षेत्र अनुपात

(तीन) भू-उपयोग में परिवर्तन :-

I. भूमि का वर्तमान उपयोग .....

II. विकास योजना/अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसार उपयोग .....

(चार) पार्किंग :-

पार्किंग की कमी के क्षेत्रफल की गणना :-

I. दिनांक 01.01.2011 के पूर्व अस्तित्व में आये अनधिकृत विकास/निर्माण :-

स.क्र.	छत्तीसगढ़ भूमि विकास के नियम 81 अनुसार आवश्यक पार्किंग (ई.सी.एस.)	परिसर में उपलब्ध पार्किंग का क्षेत्रफल	शमन योग्य कार पार्किंग का क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

## II. दिनांक 01.01.2011 के पश्चात् अस्तित्व में आये अनधिकृत विकास/निर्माण :-

स.क्र.	छत्तीसगढ़ भूमि विकास के नियम 81 अनुसार आवश्यक पार्किंग (ई.सी.एस.)	परिसर में उपलब्ध पार्किंग का क्षेत्रफल	शमन योग्य कार पार्किंग का क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

## III. शमन योग्य पार्किंग की गणना निम्नानुसार होगी :-

स.क्र.	अधिभाग	निर्मित क्षेत्र	पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल (प्रति कार स्थान (ई.सी.एस.) के आधार पर )	आवेदक द्वारा की गई व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आवासीय	500 तक	निरंक	
		500 से अधिक	50 प्रतिशत	
2	गैर आवासीय	500 तक	निरंक	
		500 से अधिक	50 प्रतिशत	

नोट :- उपरोक्त तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में दर्ज निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर से अधिक होने पर कण्डिका 5. (चार) के बिंदु क्रमांक I. एवं II. अनुसार गणना की जावेगी।

7. गैरलाभ अर्जन हेतु निर्मित संस्थान/चिकित्सालय/शैक्षणिक संस्थान/धर्मशाला/अन्य.....
8. पहुँच मार्ग की चौड़ाई ..... मीटर (वर्तमान)
9. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था .....
10. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार सौर ऊर्जा का प्रावधान .....
11. (1) शासन/स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय द्वारा आबंटित अथवा पट्टा पर प्रपत्रानुसार भूमि का उपयोग .....
- (2) वर्तमान उपयोग .....
12. भवन के चारों ओर का फोटोग्राफ्स .....
13. बहुमंजिला भवन हेतु मृदा परीक्षण, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, अग्नि शमन की व्यवस्था .....

-----  
 आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर/तकनीकी व्यक्ति  
 नाम : -----  
 पंजीकरण क्रमांक : -----  
 फोन नम्बर : -----  
 पोस्टल एड्रेस : -----

-----  
 आवेदक के हस्ताक्षर  
 नाम : -----  
 फोन नम्बर/मो.नं.: -----  
 पोस्टल एड्रेस : -----  
 ई-मेल : -----

शपथ—पत्र

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम आपके द्वारा अपेक्षित अन्य विवरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ/हैं.

-----  
आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर/तकनीकी व्यक्ति  
नाम : -----  
पंजीकरण क्रमांक : -----  
फोन नम्बर : -----  
पोस्टल एड्रेस : -----

-----  
आवेदक के हस्ताक्षर  
नाम : -----  
फोन नम्बर : -----  
Postal Address : -----

**शपथ पत्र-अ**  
**(आवेदक द्वारा शपथ के लिए)**

मैं/हम, श्री/श्रीमती ..... आयु ..... वर्ष, श्री/श्रीमती .....  
..... के पुत्र/पुत्री/पत्नि, जो कि ग्राम ..... पोस्ट ऑफिस .....  
..... तहसील ..... जिला ..... के निवासी है, एतद् द्वारा शपथपूर्व कथन करते हैं कि :-

1. यह कि, मैं/हम, ने, क्रय/पट्टा/उपहार/पारिवारिक बटवारा/कोर्ट आदेश के माध्यम से ग्राम ..... प.ह.नं. .... रा.नि.मं. .... तहसील ..... जिला ..... स्थित भूमि खसरा क्रमांक ..... कुल रकबा ..... पर स्थित भूखण्ड/भवन क्रमांक ..... प्राप्त किया है, जिस संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है :-

**संपत्ति की अनुसूची**

मौजा/ग्राम का नाम : .....

तहसील : .....

सबक/हॉल प्लॉट नंबर : .....

खसरा नंबर : .....

रकबा/क्षेत्र : .....

ले आउट (अभिन्धास) क्रमांक : .....

द्वारा अनुमोदित ..... पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....

**चतुर्सीमा का विवरण**

(कृपया भूखण्ड क्रमांक/मार्ग का उल्लेख करें)

पूर्वी दिशा : ..... पश्चिमी दिशा : .....

उत्तरी दिशा : ..... दक्षिणी दिशा : .....

2. यह कि, भूमि के अर्जन प्राप्ति की तिथि से, मैं/हम वैधपूर्वक एवं शांतिपूर्वक तरीके से ऊपर उल्लेखित भूखण्ड/भवन पर काबिज है,
3. यह कि, मैंने अपनी/हमारी कानूनी स्वामित्व की भूमि से परे भवन या उसके किसी भाग का निर्माण नहीं किया गया है,
4. यह कि, मेरे/हमारे द्वारा ऊपर उल्लेखित भूखण्ड/भवन से सटे किसी भी शासकीय भूमि अथवा अन्य की भूमि अथवा मिले हुए भूमि/भूखण्ड/भवन पर अतिक्रमण नहीं किया गया है,
5. यह कि, नियमितीकरण के लिए प्रस्तुत योजना, स्थल पर वास्तविक निर्माण के अनुसार ही है,
6. यह कि, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ जमा किए गए दस्तावेज सही है,
7. यह कि, मैं/हम भवन के संरचनात्मक डिजाइन की संरचनात्मक सुरक्षा/पुनरीक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं, और प्राधिकारी को भवन की किसी भी संरचनात्मक विफलता के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा,
8. यह कि, आवेदन में तथ्यों को छुपाने और/या गलत तरीके से प्रस्तुत करने की स्थिति में, प्राधिकारी को अनुमति को अस्वीकार करने/अनुमति को रद्द करने और मेरे/हमारे द्वारा जमा किए गए शास्ति राशि को जब्त करने का पूरा अधिकार है और मैं/हम आपराधिक मुकदमा चलने के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर

शपथकर्ता का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर

**शपथ पत्र – ब**  
**(आवेदक द्वारा शपथ के लिए)**

मैं/हम, श्री/श्रीमती ..... आयु ..... वर्ष, श्री/श्रीमती .....  
..... के पुत्र/पुत्री/पत्नि, जो कि ग्राम ..... पोस्ट  
ऑफिस ..... तहसील ..... जिला ..... के निवासी है,  
एतद् द्वारा शपथपूर्व कथन करते है, कि जो भी मेरे निर्माण किया गया है, व पूर्णतः अवैध है और उसमें  
नियमितिकरण हेतु जो भी शास्ति लगाई जायेगी मैं जमा करने हेतु बाध्य हूँ।

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर

शपथकर्ता का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर

प्ररूप-दो  
(नियम 6 (1) देखिए)  
अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु मांग नोटिस

प्रति,

श्री / श्रीमती .....

.....  
.....

यतः मुझे, अधोहस्ताक्षरकर्ता का, प्रस्तुत आवेदन दिनांक ..... के आधार पर, यह मत है कि श्री ..... द्वारा परिसर क्रमांक/प्लेट क्र./उप भू-खंड क्रमांक ..... भू-खण्ड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक ..... मोहल्ला ..... पर स्वामी/अधिभोगी के रूप में अनधिकृत विकास किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है,

सम्पत्ति का विवरण :-

.....  
.....  
.....

अतएव, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, आप नीचे दिए गये विवरण अनुसार अनधिकृत विकास करने के बारे में शास्ति राशि, " आय के मुख्य शीर्ष 0217 उपशीर्ष-06 अन्य नगर विकास योजनाएं लघुशीर्ष 800 अन्य प्राप्तियां योजना क्रमांक-0190 " में जमा करने के दायी है,

स.क्र.	विवरण	प्रवर्ग	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दर रू./ वर्गमीटर	कुल राशि रूपए में
1	2	3	4	5	6
1.	पार्श्व खुला स्थान				
2.	तलक्षेत्र अनुपात				
3.	भू-उपयोग में परिवर्तन (कलेक्टर गाईडलाईन का 5%)				
4.	पार्किंग				

यदि आप सुने जाने की वांछा रखते हैं तो आप इस सूचना के प्राप्त होने से एक मास की कालावधि के भीतर सुनवाई करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को लिख सकते है, और उस तारीख को, जो दी जाए, अपने मामले के संबंध में सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत कर सकते है,

तारीख :

सदस्य सचिव

स्थान :

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

जिला -

प्ररूप-तीन  
(नियम 6 (2) देखिए)  
अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आदेश

प्रति,

श्री / श्रीमती .....

.....

.....

जैसा कि मेरा अधोहस्ताक्षरकर्ता, का यह मत है कि खसरा क्रमांक ..... प्लॉट क्रमांक .....  
..... क्षेत्र / कालोनी / माहल्ले ..... में किया गया अनधिकृत विकास, छत्तीसगढ़  
अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 7 के प्रावधान अनुसार नियमितिकरण हेतु  
उपयुक्त पाया गया है।

अतएव प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ अनधिकृत  
विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के उपबंधों के अधीन मैं इस सूचना की तारीख से .....  
..... दिन के भीतर रूपये ..... (शब्दों में ..... ) शासकीय  
खजाने में विप्रेषण के अधीन रहते हुए, अनधिकृत विकास को नियमित घोषित करता हूँ ऐसा करने में  
असफल होने पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

(जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

तारीख :

सदस्य सचिव

स्थान :

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

जिला -

प्ररूप—चार  
(नियम 6 (4) देखिए)

अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने संबंधी आदेश

प्रति,

श्री / श्रीमती .....

.....

.....

यतः मुझे, अधोहस्ताक्षरकर्ता का, यह मत है कि भू-खण्ड क्रमांक ..... खसरा क्रमांक ..... कॉलोनी/गली पर आपके द्वारा किए गए अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के बारे में आपके आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 7 के उपबंधों के अधीन नियमितिकरण की शर्तों के अनुसार नहीं है या नियमितिकरण लोक हित में नहीं होने के निम्नलिखित कारण हैं :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

अतएव धारा 6 (1) (एक) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एतद्वारा नामंजूर किया जाता है।

आपको, एतद्वारा निर्देश दिया जाता है, कि आप स्वयं उक्त अनधिकृत विकास को अविलंब हटा दें, असफल होने पर उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी.

(जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

तारीख :

सदस्य सचिव

स्थान :

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

जिला —



प्ररूप-पांच  
(नियम 7 देखिए)

नियमितिकरण प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती ..... आत्मज/आत्मजा श्री .....  
..... द्वारा निर्मित, या स्वामित्व की या अधिभोग में स्थित अनधिकृत विकास, जो कि सक्षम  
अधिकारी की अनुमति के बिना या स्वीकृत अनुज्ञा का उल्लंघन कर (देखिए पत्र क्रमांक ..... तारीख  
.....) राजस्व खसरा क्रमांक ..... अन्तिम भू-खण्ड क्रमांक .....  
ग्राम/नगर तथा ग्राम विकास योजना क्रमांक ..... पर परिसर क्रमांक/प्लैट क्रमांक .....  
...../मकान क्रमांक ..... में, विकसित किया गया है, को छत्तीसगढ़ अनधिकृत  
विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 के अधीन, अपेक्षाओं को पूरी करने के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी  
में उल्लेखित क्षेत्र सहित, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 की  
धारा 6 के अधीन नियमितिकरण किया जाता है :-

स.क्र.	नियमितिकरण के विषय	क्षेत्रफल वर्गमीटर में
1	2	3
1.	पार्श्व खुला स्थान	
2.	तलक्षेत्र अनुपात	
3.	भू-उपयोग में परिवर्तन	
4.	पार्किंग	

तारीख :

सदस्य सचिव

स्थान :

जिला नियमितिकरण प्राधिकारी

(जिला नियमितिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित)

जिला -

संलग्न :- मानचित्र व रेखांकन

## चेक लिस्ट

1. भूमि स्वामित्व दस्तावेज अद्यतन बी-I, पी-II, खसरा बटांकन
2. भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण यथा बिजली बिल/संपत्ति कर की प्रति
3. भूमि का विवरण राजस्व मोहल्ला, नगर निवेश योजना, सर्वे क्रमांक प्लाट नं./खसरा नं./रकबा :- .....
4. भवन अनुज्ञा स्वीकृति की प्रति
5. भवन का वर्तमान उपयोग : .....
6. विकास योजना/अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसार भू-उपयोग प्रमाण पत्र
7. गैर लाभ अर्जन निर्मित संस्थान/चिकित्सालय/शैक्षणिक संस्थान/धर्मशाला/अन्य की स्थिति में गैर लाभ अर्जन संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र
8. मार्ग की वर्तमान चौड़ाई : .....
9. पार्किंग की गणना रिपोर्ट : .....
10. शासन/स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय द्वारा आबंटित अथवा पट्टा की स्वप्रमाणित प्रति
11. भवन के चारों ओर का फोटोग्राम
12. बहुमंजिला भवन हेतु मृदा परीक्षण, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, अग्निशमन की व्यवस्था
13. शपथ पत्र अ एवं ब

गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर

शपथकर्ता का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर